केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/86 दिनांक: 27.03.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00077
CICOM/R/2018/00212

अपीलकर्ता : श्री रमाकेश विश्वकर्मा,
ग्राम व पो0 – अजमतउल्ला गंज,
जिला – रायबरेली ।

निर्णय की तारीख: 27.03.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.02.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	07.03.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एच. पी. सेन
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	16.03.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	124/22.03.2018 (118468/21.03.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 12.02.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित दिनांक 08.05.2017 के पत्र पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना सूचना मांगी गई थी । प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने एक अन्य पत्र सं. पी 1/9788 दिनांक 14.12.1988 (संलग्न पत्र में पत्र सं. पी 1/9788 का दिनांक 14.12.1998 लिखा है) का उल्लेख करते हुए लिखा है कि रक्षा मंत्रालय से अब तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, रिपोर्ट दिलवाने की कृपा करें । अपीलकर्ता ने श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के संबंध में प्रथम अपील आवेदन में कोई उल्लेख नहीं किया है कि वह प्रदान की गई सूचना से सहमत हैं या नहीं ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने दिनांक 12.02.2018 के आर.टी.आई. आवेदन में पत्र सं. पी 1/9788 दिनांक 14.12.1988 (संलग्न पत्र में पत्र सं. पी 1/9788 का दिनांक 14.12.1998 लिखा है) का कोई उल्लेख नहीं है । इस संदर्भ में अपीलकर्ता को अवगत करवाया जाता है कि प्रथम अपील में केवल उन्हीं बिंदुओं पर विचार किया जाता है, जिसका उल्लेख आर.टी.आई. आवेदन में किया गया हो ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

28/03/18

C.I.C./के. सू. आ.
RECEIVED
D. No.
Initials